



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1372]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 6, 2018/चैत्र 16, 1940

No. 1372]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 6, 2018/CHAITRA 16, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2018

का.आ. 1516(अ).—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का०आ० 3648(अ) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

तालिका में,

- उत्तरी क्षेत्र से संबंधित क्रम संख्या 'क' में, दिल्ली के नीचे, क्रम संख्या 19 पर संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्,-

क्रम सं०	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"19	रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैटीरियल साइंसेज प्रा. लि., दिल्ली पंजीकरण सं. 49/एन/एफ.एस.एस.ए.आई./2017 प्लॉट सं. 22 और 23, राणाजी एन्क्लेव, नांगली सकरावटी, नई दिल्ली-110043	रासायनिक जैविक"

2. पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित क्रम संख्या 'ख' में,

(क) गुजरात के नीचे, क्रम संख्या 12 के पश्चात, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्,-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"13	विमटा लैब्स लिमिटेड, अहमदाबाद पंजीकरण सं. 47/डब्ल्यू/एफ.एस.एस.ए.आई./2018 बी-303 और बी-304, शिल्प आरों टावर-बी, सिंधु भवन रोड, बूडकदेव, अहमदाबाद-380059, गुजरात	रासायनिक जैविक"

(ख) मध्य प्रदेश के नीचे, क्रम संख्या 5 पर, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्,-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"5	एक्सिलेंट बायो रिसर्च सोलुशन्स प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर पंजीकरण सं. 35/डब्ल्यू/एफ.एस.एस.ए.आई./2017 1042, नैपियर टाउन, चौथा ब्रिज, जबलपुर, मध्य प्रदेश	रासायनिक जैविक"

(ग) मध्य प्रदेश के नीचे, क्रम संख्या 7 के बाद, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्,-

क्रम सं०	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"8	श्रीजी एनालाइटिकल एंड रिसर्च लेबोरेटरीज प्रा. लि., इंदौर पंजीकरण सं. 48/डब्ल्यू/एफ.एस.एस.ए.आई./2018 ए-1, बालाजी तुलिस्यान इंडस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम कुमेदी, इंदौर-453551, मध्य प्रदेश	रासायनिक जैविक"

(घ) महाराष्ट्र के नीचे, क्रम संख्या 24 के पश्चात, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्,-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"25	नैशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड-कॉमग्रेड, नवी मुंबई पंजीकरण सं. 49/डब्ल्यू/एफ.एस.एस.ए.आई./2018 प्लॉट सं. डी-164, आनंद हाउस, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, एमआईडीसी,	रासायनिक जैविक"

नेरुल ईस्ट, नवी मुंबई-400706, महाराष्ट्र
--

3. दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित क्रम संख्या 'ग' में,

(क) कर्नाटक के नीचे, क्रम संख्या 12 के पश्चात, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्,-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"13	विमटा लैब्स लिमिटेड, बंगलौर पंजीकरण सं. 62/एस/एफ.एस.एस.ए.आई./2018 पहला और दूसरा तल, #1047, रुक्मिणी प्लाजा, 20वाँ मेन, 5वाँ ब्लॉक, वेस्ट ऑफ कोर्ड रोड, राजाजी नगर, बंगलोर-560010, कर्नाटक	रासायनिक जैविक"

(ख) तमिलनाडू के नीचे, क्रम संख्या 17 के पश्चात, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्,-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"18	एबीसी टेक्नो लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई पंजीकरण सं. 63/एस/एफ.एस.एस.ए.आई./2018 एबीसी टॉवर, नं. 400, 13वीं गली, सिडको इंडस्ट्रियल इस्टेट, नॉर्थ फेज, अम्बात्तुर, चेन्नई-600098, तमिलनाडू	रासायनिक जैविक"

[फा.सं. 12012/01/2017-क्यू०ए०]

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का०आ० 3648 (अ) दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में उसका निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन हुआ था:-

- (i) का०आ० 567 (अ), दिनांक 20 फरवरी, 2017;
- (ii) का०आ० 1595 (अ), दिनांक 15 मई, 2017;
- (iii) का०आ० 1965 (अ), दिनांक 20 जून, 2017;
- (iv) का०आ० 2316 (अ), दिनांक 24 जुलाई, 2017;
- (v) का०आ० 3068 (अ), दिनांक 14 सितंबर, 2017;
- (vi) का०आ० 3279 (अ), दिनांक 29 सितंबर, 2017;
- (vii) का०आ० 4083 (अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 2017; और
- (viii) का०आ० 848 (अ), दिनांक 19 फरवरी, 2018।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
[FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA]

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2018

S.O . 1516(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely:-

In the table,

1. in 'A' related to NORTHERN REGION, under *Delhi*, at serial number 19, the following shall be substituted in respective columns, namely:-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“19	Research Institute of Material Sciences Pvt Ltd, Delhi Reg. No. 49/N/FSSAI/2017 Plot No. 22 & 23, Ranaji Enclave, Nangli Sakrawati, New Delhi- 110043	Chemical Biological”.

2. in 'B' related to WESTERN REGION,

(a) under *Gujarat*, after serial number 12, the following entries shall be inserted in respective columns, namely:-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“13	Vimta Labs Limited, Ahmedabad Reg. No. 47/W/FSSAI/2018 B-303 & B-304, Shilp Aaron Tower-B, Sindhu Bhavan Road, Budakdev, Ahmedabad-380059, Gujarat	Chemical Biological”.

(b) under *Madhya Pradesh*, at serial number 5, the following entries shall be substituted in respective columns, namely:-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“5	Excellent Bio Research Solutions Private Limited, Jabalpur Reg. No.35/W/FSSAI/2017 1042, Napier Town, 4 th Bridge, Jabalpur, Madhya Pradesh	Chemical Biological”.

(c) under *Madhya Pradesh*, after serial number 7, the following entries shall be inserted in respective columns, namely:-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“8	Shreeji Analytical & Research Laboratories Pvt. Ltd, Indore Reg. No. 48/W/FSSAI/2018 A-1, Balaji Tulisyan Industrial Estate, Gram Kumedi, Indore-453551, Madhya Pradesh	Chemical Biological”.

(d) under *Maharashtra*, after serial number 24, the following entries shall be inserted in respective columns, namely:-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“25	National Collateral Management Services Limited-CommGrade, Navi Mumbai Reg. No. 49/W/FSSAI/2018 Plot No. D-164, Anand House, TTC Industrial Area, MIDC, Nerul East, Navi Mumbai-400706, Maharashtra	Chemical Biological”.

3. in 'C' related to SOUTHERN REGION,

(a) under *Karnataka*, after serial number 12, the following entries shall be inserted in respective columns, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"13	Vimta Labs Limited, Bangalore Reg. No. 62/S/FSSAI/2018 1 st & 2 nd Floor, #1047, Rukmini Plaza, 20 th Main, 5 th Block, West of Chord Road, Rajaji Nagar, Bangalore-560010, Karnataka	Chemical Biological

(b) under *Tamil Nadu*, after serial number 17, the following entries shall be inserted in respective columns, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"18	ABC Techno Labs India Private Limited, Chennai Reg. No. 63/S/FSSAI/2018 ABC Tower, No: 400, 13 th Street, SIDCO Industrial Estate, North Phase, Ambattur, Chennai-600098, Tamil Nadu	Chemical Biological".

[F. No. 12012/01/2017-QA]

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and subsequently amended vide:-

- (i) S.O. number 567 (E), dated the 20th February, 2017;
- (ii) S.O. number 1595(E), dated the 15th May, 2017;
- (iii) S.O. number 1965 (E), dated the 20th June, 2017;
- (iv) S.O. number 2316(E), dated the 24th July, 2017;
- (v) S.O. number 3068 (E) dated the 14th September, 2017;
- (vi) S.O. number 3279 (E) dated the 29th September, 2017;
- (vii) S.O. number 4083 (E) dated the 22nd December, 2017; and
- (viii) S.O. number 848 (E) dated the 19th February, 2018.